दूरभाष : 0771.2285352, 2285353(फैक्स)
E-mail : dco-chh.rgi@censusindia.gov.in

2011

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS CHHATTISGARH
गोविन्द सारंग परिसर, तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर – 492006
Govind Sarang Complex, 3rd Floor, New Rajendra Nagar, Raipur -492006

क्रमांक डी–28016/1/2013–डीसीओ(छ.ग.)/N\916 दिनांक–13/8/13

निविदा आमंत्रण

भारत के राष्ट्रपति की ओर से जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर स्थित कार्यालय द्वारा निम्नानुसार जनगणना 2011 के अभिलेखों एवं स्टील रैक को जनगणना कार्य निदेशालय, छत्तीसगढ़, गोविंद सारंग परिसर, तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर से केन्द्रीय भण्डारण निगम (CWC), रावाभांटा, रायपुर में शिफ्ट किये जाने हेतु पंजीकृत फर्मों से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है:–

विवरण	संख्या
जनगणना 2011 के अभिलेख	लगभग 11000 बाक्स (प्रत्येक बाक्स का वजन लगभग 10 – 12 कि.ग्रा.)
स्टील रैक	लगभग 250 (साईज 18X42X94 इंच)

नियम व शर्ते –

1. जनगणना कार्य निदेशालय, छत्तीसगढ़ न्यू राजेन्द्र नगर में रैक एवं अभिलेखो का अवलोकन कर लोडिंग, अनलोडिग एवं ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि सहित दर प्रस्तुत किया जाना है। उक्त अभिलेखों का अवलोकन कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक जनगणना कार्य निदेशालय, छत्तीसगढ़ न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर से संपर्क कर किया जा सकता है। उपरोक्त **दर की वैधता निविदा खोलने की दिनांक से 6 महीने तक होगी।**
2. उपरोक्त कार्य सम्पादन हेतु निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/फर्मो को निविदा के साथ नियमानुसार सुरक्षा निधि (EMD) जमा करना होगा। सुरक्षा निधि की राशि उपरोक्त कार्य सम्पादन हेतु फर्म द्वारा प्रस्तुत दर का 3 प्रतिशत होगी जो एकाउट पेयी डिमांड ड्राफट के रूप में किसी राष्ट्रीकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा निदेशक, डी.सी.ओ. छत्तीसगढ़ रायपुर (Director, D.C.O. Chhattisgarh, Raipur) के नाम से जारी तथा रायपुर में देय हों।

3. जनगणना कार्य निदेशालय, छत्तीसगढ़ न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर में स्टील रैक्स को खोलकर (dismantle करके) ले जाना होगा तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम (CWC), रावाभांटा, रायपुर में स्टील रैक को स्थापित कर स्टील रैक पर परिवहन किये गये अभिलेखो को इस कार्यालय के निर्देशानुसार यथा स्थान पर व्यवस्थित तरीखे से रखवाने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
4. परिवहन किये जाने वाले अभिलेख महत्वपूर्ण अभिलेख है जिन्हें सुरक्षित/व्यवस्थित तरीके से शिफ्ट किये जाने एवं बरसात के पानी से बचाव की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि इन अभिलेखों की किसी भी प्रकार से क्षति न होने पाये ।
5. परिवहन के दौरान वाहन खराब होने या किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित घटना होने की स्थिति में तत्काल दूसरे वाहन की व्यवस्था करके अभिलेखो का परिवहन किया जाना होगा।
6. कार्य आदेश जारी होने के 15 दिनो के भीतर रैक एवं अभिलेखो को कार्यालय से केन्द्रीय भण्डारण निगम,रायपुर ले जाकर व्यवस्थित रखा जाना होगा।
7. उक्त अभिलेखो को कार्यालय से केन्द्रीय भण्डारण निगम, रायपुर सुरक्षित तरीके से परिवहन कर के इस कार्यालय द्वारा बताये गये स्थान पर व्यवस्थित तरीखे से रखवाने के पश्चात् भुगतान हेतु देयक तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।
8. उपरोक्त कार्य हेतु कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार के अग्रिम का भुगतान नहीं किया जावेगा।
9. अभिलेखो को किसी भी प्रकार की क्षति होने एवं निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत EMD को जब्त किया जा सकता है।
10. निविदाओं को मान्य/अमान्य करने अथवा निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

निविदा जमा करने/खोलने की तिथि–

निविदा जनगणना कार्य निदेशालय, छत्तीसगढ़ में दिनांक 23/8/13 को दोपहर 2.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जा सकता है। इस तिथि या समय के बाद प्राप्त निविदा को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा। दिनांक 23/8/13 को दोपहर 3.00 बजे कार्यालय के क्रय समिति के समक्ष निविदा खोला जावेगा। निविदा खोले जाने के दौरान निविदाकर्त्ता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

(जोस टी.वर्गिस)
उप निदेशक